UPLK010196802025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी : मलखान सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP01998

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9413/2025</u>

विवेक कुमार, उम्र लगभग 21 वर्ष, पुत्र बाल कृष्ण, निवासी पैकोली, परीवन, जिला बाराबंकी। **.....आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....अभियोगी।**

वाद संख्या- 125344/2025
अपराध संख्या- 48/2025
धारा- 85, 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस
व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना- निगोहां, जनपद- लखनऊ।

<u>17.11.2025.</u>

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार के द्वारा उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा श्रीमती सोनम द्वारा दिनांक 07.03.2025 को समय 10:42 बजे, थाना निगोहां, जनपद लखनऊ में विवेक कुमार (पति), बालकिशन (ससुर), विवेक कुमार की माता (सास), विवेक कुमार की बहन (ननद) एवं आलोक के विरुद्ध वादिनी के विवाह उपरान्त दहेज की मांग करने, दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने आदी के सम्बन्ध में धारा- 85, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

3. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्यतः ये कथन किये गये हैं कि आवेदक ने वादिनी के साथ प्रेम विवाह किया था और विवाह व उसके पश्चात् कभी भी दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही कभी भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वादिनी द्वारा आवेदक के विरुद्ध लगाये गये आरोप बेबुनियाद व मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। आवेदक पूर्णतया निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। विवेचक द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने हेतु निरन्तर दबिश दी जा रही है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह अपनी विश्वसनीय जमानत देने को तैयार हैं, अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

6. पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 85, 115(2), 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए विवेचना समाप्त की जा चुकी है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-35(3) की नोटिस तामील कराते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के विरुद्ध आरोपित अपराध अधिकतम सात वर्ष या उससे कम अवधि के दण्ड से दण्डनीय है। अभियोजन की ओर से आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभय पक्षों को विस्तार से सुनने के उपरान्त, मामले के तथ्यों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था *सतेन्द्र कुमार एंटिल बनाम सी.बी.आई. व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773* के आलोक में मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है, तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त विवेक कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/ अभियुक्त के गिरफ्तार होने या सम्बन्धित विचारण न्यायालय में उपस्थित होने पर मु० 40,000/- (चालीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में प्रस्तुत किये जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये-

i. आवेदक/अभियुक्त अंदर 15 दिवस सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर जमानतें दाखिल करेंगे एवं विचारण में सहयोग करेगा।
ii. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने लिये मनाया जा सके,
iii. वाद में आरोप विरचित किये जाने, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षियों के उपस्थित रहने एवं धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा-351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु वे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,
iv. आवेदक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत के बाहर नहीं जायेगा।

दिनांक-17.11.2025.

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2025.11.20 17:05:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court